

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-81/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

महेश चन्द्र महतो बनाम मोहन महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

महेश चन्द्र महतो पिता-स्व० पंचानन महतो उर्फ पोचा कुरमी, ग्राम-तिलमीसेरेंग, पो०-बंसिया, थाना-सिल्ली, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

मोहन महतो पिता-स्व० सुदन महतो, ग्राम-तिलमीसेरेंग, पो०-बंसिया, थाना-सिल्ली, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-15/10/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता मोहन महतो पिता-स्व० सुदन महतो, ग्राम-तिलमीसेरेंग, पो०-बंसिया, थाना-सिल्ली, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
तिलमीसेरेंग	सिल्ली/41	10	336	0.44 ए० चौहद्दी:- उ०-मुचीराम महतो। द०-नरेश चन्द्र महतो वो कृष्ण चन्द्र महतो। पू०-धानामुंजी सीमाना। प०-केशव चन्द्र महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-51 दिनांक-28/01/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत मोचीराम कुरमी वल्द लोबीन कुरमी वो पोचा कुरमी वल्द गधराय कुरमी वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत/पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम मुचीराम महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा-12.40½ एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2013-14 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी (दोन II) किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-11.96½ एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही गांव एवं सिल्ली थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता महेश चन्द्र महतो पिता-स्व० पंचानन महतो उर्फ पोचा कुरमी, ग्राम-तिलमीसेरेंग, पो०-बंसिया, थाना-सिल्ली, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती, को क्रेता मोहन महतो पिता-स्व० सुदन महतो, ग्राम-तिलमीसेरेंग, पो०-बंसिया, थाना-सिल्ली, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-15/10/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता महेश चन्द्र महतो पिता-स्व० पंचानन महतो उर्फ पोचा कुरमी, ग्राम-तिलमीसेरेंग, पो०-बंसिया, थाना-सिल्ली, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो,

पेशा-खेती, को क्रेता मोहन महतो पिता-स्व० सुदन महतो, ग्राम-तिलमीसेरेंग, पो०-बंसिया, थाना-सिल्ली, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी महतो, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तिलमीसेरेंग	सिल्ली/41	10	336	0.44 ए० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-मुचीराम महतो। द०-नरेश चन्द्र महतो वो कृष्ण चन्द्र महतो। पू०-धानामुंजी सीमाना। प०-केशव चन्द्र महतो।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।


भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।